

संख्या फिल-ए (3)-१/2018

हिमाचल प्रदेश सरकार
मत्स्य विभाग

तारीख, शिमला-२

२७ दिसंबर, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुकु द्वारा प्रदत्त जाकियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग ने कार्म सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपायक्रम-‘क’ के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम घनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, कार्म सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राज्यपत्र/ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- नियमन और व्यावृत्तियाँ। 2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: फिल-ए (3)-१५/2001 तारीख 23 दिसंबर, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, कार्म सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एलाद द्वारा नियमन किया जाता है।
(2) ऐसे नियमन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार नियमित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,


अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्य प्रालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

इच्छाकर्ता संख्या: फिरा-५ (३)-१/२०१८ शिमला-२,

२७/१४/ 2017

प्रतिलिपि:-

1. लहायक विधि परामर्शी एवं अदर सचिव (टिक्की), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२।
2. गणेश चिह्ने अधिकारी राजगांवा लाप्ड, विधि विभाग (हूकरीडिंग) सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला- 171002।
3. निदेशक एवं प्रारक्षी मत्तवा, हिमाचल प्रदेश, विलासपुर - 174001, 10 अतिरिक्त प्रतियों लहित।


 (उमेश कुमार)
 अदर सचिव (नत्स्वपालन)
 हिमाचल प्रदेश सरकार!

हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में कार्म सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोक्षण नियम ।

1.	पद का नाम	कार्म सहायक
2.	पद (पदों) की संख्या	15 (पन्द्रह)
3.	वर्गीकरण	वर्ग—III (अराजपत्रित)
4.	देतनानाम	(i) <u>नियमित पदधारी (पदधारियों)</u> के लिए पै थेण्डः— पे थेण्डः ₹ 5910/- 20200/- उमा ₹ 1900/- थेण्ड दे ।
		(ii) <u>सर्विदा घर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों)</u> के लिए उपलब्धियाः स्टम्प 15-क में दिए गए व्यौरे के अनुसार ₹ 7810/- प्रतिमास ।
5.	पद "वयन" है या "अचयन"	अचयन ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने याले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या रायिदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रहा अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या रायिदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की लारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या रायिदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछला वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण एवं विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञय है :

१

परन्तु यह और भी कि समस्त प्रतिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे प्रब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे प्रब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में अमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में रेसी रियायत अनुचाल वी जारी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुशेय है। ऐसी रियायत, तथा प्रब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के रहे कर्मचारियों को अनुशेय नहीं होगी जो तत्परता ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन प्रब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अद्वितीय से बानेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवार से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, एधारिकते, आयोजन आभिन्नता करने के लिए विशारित किया गया है या नियोजनालयों को आधिकृति किया गया है।

7. तीधे भर्ती किए जाने :
 बाले प्रवित्त
 (व्यक्तियों) के लिए
 अपेक्षित न्यूनतम
 शैक्षिक और अन्य
 अहतार्थ :
- क) अनिवार्य अहतार्थ :
- फिसी साम्यता प्राप्त रकूल रिहा बोर्ड से दर्ज जाना दो पास है।
- ख) वांछनीय अहतार्थ :-
- ठिनाचल प्रदेश की रुकियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सोधे भर्ती किए जाने :
 बाले प्रवित्त
 (व्यक्तियों) के लिए
 चिह्नित आयु और
 शैक्षिक अहता
 (अहतार्थ) प्रोन्नत
 व्यक्ति (व्यक्तियों)
 की दशा में जानू
 होनी या नहीं :
- आयु - लागू नहीं।
 शैक्षिक अहतार्थ : जैसी तोचे स्तम्भ संख्या 11 के रानने 1. विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि,
यदि कोई हो :

सीधी भर्ती/प्रोन्नति:

(क) दो वर्ष, जिसमें एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम शास्त्रिकारी विशेष परिचयिताओं में और कारणों को लिखित नै अभिहित करके आदेश है।

(ख) संविदा के आधार पर सेवाकृति के आधार पर नियुक्ति पर अधिकारिता के वर्षात् उन्नर्नीयोजन पर और आमलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति :

भर्ती सीधी होगी या
प्रोन्नति/सैकेण्टमेंट/
स्थानान्तरण हारा और
विभिन्न पद्धतियों हारा
मेरे जाने वाले पद
(पदों) की प्रक्रियता।

शास्त्र-प्रतिशत प्रोन्नति हारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती हारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती हारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्टमेंट/
स्थानान्तरण हारा
भर्ती की दशा में ये
अंगिया (बोड) जिनसे
प्रोन्नति/सैकेण्टमेंट/
स्थानान्तरण किया
जाएगा :

बोडी रहायकों में से प्रोन्नति हारा, जो दसवीं पास हो और जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या बोड में की गई लगातार लद्दर्थ सेवा, एवं कोई हो, को समिलित करके दस वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

(1)

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी यो जनजातीय/कठिन/दुर्गम श्रेष्ठ और दूरस्थ/आमीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी।

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में हीनता/स्थानान्तरण के शिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के भागले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिकारिता के लिए यांच धर्व की दो उपर्युक्त कम छोटी सेवा शेष रही हो। इसी पांच धर्व की पह शर्त प्रोन्नति के भागले में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संबंध (काल) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/ सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन धर्व की अवधि पर ऐसे क्षेत्रों में हीनती की इससे उन अवधि अभियेत होनी।

स्पष्टीकरण II : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे—

1. जिला लाहौर एवं रिपति।
2. इम्मा जिला का पांगी और मरमीर उप-नियुक्त।
3. रेडरू उपमण्डल का डोहरा बवार क्षेत्र।
4. जिला शिला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, चुनीष, दशकाली और याम पंचायत।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के दैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगा ल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. फिरमीर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरणा पटवार गुल और रेणुलाजी तहसील के भलाह-भलीना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का जोटा तह पटवार वृत्त।
9. मण्डो जिला में करसीम तहसील का लायोल बनडा पटवार वृत्त, गाली ढोकी उपतालाजी के गाला गुलाई, महियांगी, घनयाड़, थाची, बागी, शोमगाड़ और खोलानगल पटवार वृत्त, पदवर तहसील के झारवाल, कुटगढ़, ग्रामा, देवगढ़, दाईला, रोपा, कथोग, सिलह गढ़वानी, इस्तपुर, सपरेहर, और रेडरू पटवार वृत्त, धुनाग तहसील में चिहणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बाराजा, उत्तरी भगल और दांकेणी मराल पटवार वृत्त और मण्डो जिला की सुन्दरनगर तहसील का पटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण III : उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे—

३

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।

(ii) राज्य दुर्बाल और ज़िला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ को लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए जिला अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मानसों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्मरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में व्यापारित रोपकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्मरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उनित स्वीकार्य प्रक्रियां को अपनाने के पश्चात् की गई थीं।

(i) परन्तु उन सभी मानसों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति व्यक्ति सम्मरक (पोषक) पद में अपने बुल सेवाकाल (तदर्थ अधार पर की गई सेवा सहित, जो नियन्ति सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), को आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के लालन विहार किए जाने का पत्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने—अपने प्रदर्श/पद/काड़ियाँ में विचार किए जाने के पत्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, की कम से कम ऐन वर्ष छोटे व्यक्तिम अद्वितीय सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति दूर्घाती परन्तुक की अपेक्षाओं के बारपा प्रोन्नति किए जाने रामबन्धी विचार के लिए अपत्र हो जाता है, वहाँ उससे लनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र रामबन्धी जाएगा/रामबन्ध जाएंगे।

स्पष्टीकरण — अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारों प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनेक है, जिसे डिमोक्रिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सेज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमायत रेटेट नॉन-टैक्नीकल सर्टिफीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया जाया है और एवं वर्षीय वर्षीयहा लम्ब दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसेन्स (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमायत प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत यरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इर्ही प्रकार स्थायीकरण के भानी मामलों ने ऐसे घट पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भारक (पोषक) घट पर भी गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्ति, उत्तित चयन के पश्चात् और नती और प्रोन्ति नियमों के उपर्याधी ले अनुसार की गई थी:

वस्तु को गई तदर्थ सेवा को गणना में लाने के पश्चात् जो स्थायीकरण होना उसके फलस्वरूप मारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विनाशीय प्रोन्ति/ स्थायीकरण चनिते विद्यमान हो, तो उसकी लेनदेना : जैसी सख्तार द्वारा समय-रामर पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : किसी सेवा या घट पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती किए जाने वाले प्रान्ति (व्यक्तियों) के लिए अनिवार्य अपेक्षा : सीधी भर्ती के मामले ने घट पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट- I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथारिति, दिनांक प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य रीति अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक हो समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट- II में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्ण में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक शरीकाण के आधार पर किया जाएगा, जिसका रत्न/पाठ्यक्रम आगे, यथारिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / प्राधिकरण द्वारा

। ७ :
अधिकारी किया जाएगा।

16-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बत्त के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियाँ नीते दिए गए निदन्तानों और शर्तों के अधीन की जाएंगी।

I संकल्पना :

- (क) इस प्रतिलिपि का अधीन, हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग में फार्म राहायक के संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाता जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा की अधिक ने वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सन्दर्भ विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की नेवा और आवश्यक वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल हमी उसकी संविदा की अधिक नवीकृत/विस्तारित हो जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी व्यवन आयोग के कार्यक्रम में शाना :-

निवेशक, सत्र्यपालन, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सारकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापका को, सन्दर्भ भरी अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी व्यवन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

- (ग) चयन, इन नियमों में विहित प्रक्रिया शर्तों के अनुशास किया जाएगा।

II संविदात्मक उपलब्धियाँ :

संविदा के आधार पर नियुक्त फार्म राहायक को ₹ 7810/- की दर से संवेदित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड से के बराबर होगी) प्रतिमास संदर्त्त की जाएगी। यदि राविवा में एक वर्ष से अधिक की वर्षीतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियाँ में ₹ 234/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीव्र प्रतिशत) की रकम जारीक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

III नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी :

निवेशक, सत्र्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV)

चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के नाम्से में वह पर नियुक्ति को लिए चयन, लिखित परीक्षे के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्देश रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक था समीक्षान समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्देश रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्ण में ती गई छठनी परीक्षा (परस्तुनिष्ठ प्रकार की) या आवधारिक परीक्षा या ददाती परीक्षा या शारीरिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पात्रक्रम आदि भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमायत प्रदेश कर्मचारी बचन आयोग, इंडोरबुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V)

संविदात्मक नियुक्तियों को लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमायत प्रदेश कर्मचारी बचन आयोग, इंडोरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI)

फरार :

अन्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII)

निवाचन और शर्तें :

(क)

संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7810/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पै बैंड के न्यूनतम जमा डैड पे के बचावर छोटी) प्रतिमाह संदर्भ से जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए रुप/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 234/- की दर से (पै बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे को तीन प्रतिशत) की दर से बढ़े का हककार होगा और अन्य कोई राहवाद प्रसुविधाएं जैसे परिष्ठ/ धयन योग्यान आदि नहीं दिया जाएगा।

- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण चीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलौण्डर वर्ष में एक नास की सेवा पूरी करने के नश्वरत एक दिन के आकस्मिक अद्यकाश, दस दिन के चिकित्सा अद्यकाश और पौध दिन के लिंगेष अद्यकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैसीस दिन का प्रत्युति अद्यकाश उदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दोसाल गर्भपात्र हो जाने सहित गर्भपात्र कराने को दस में प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—यत्र प्रस्तुत करने पर ऐतालीस दिन से अनधिक प्रस्तुति अद्यकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एलटी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अद्यकाश अनुशासन नहीं होगा।
- अनुपभूति आकस्मिक अद्यकाश, चिकित्सा अद्यकाश और विशेष अद्यकाश एक कलौण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलौण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (छायूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से रुता ही संविदा ज्ञ पर्यावरण (समाप्त) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामले में जहाँ पर चिकित्सा अद्यार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति वो हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो हो उसके नियन्त्रिकरण के मामले में विचार करते शरण ऐसी उद्यि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत लग्य पर नियन्त्रण अधिकारी को रूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अद्यि के लिए संविदात्मक रक्त का हकदार नहीं होगा:
- परन्तु उसे सरकार के प्रबलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण—यत्र को प्रस्तुत करना होगा।
- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने ऐनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष ला कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आदश्यकता के आधार पर जहाँ कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होना।

(v)

चयनित अन्यथा को सरकारी/रजिस्ट्रीड लिकिल्ज व्यवसायी से अपना आशोच्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। याहां राज्याधीन समय से नभंपती महिला अन्यथा प्रवास होने तक, अस्थायी तौर पर अनुप्रयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अन्यथा का किसी प्रधिकृत लिकिल्ज अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए मुक्त परीक्षण किया जाएगा।

(vi)

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का बाते अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर चौंकी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को देतनाम के व्युत्पत्ति पर लगू है, यात्रा दलों/ट्रेनिंग गत्ते का हकदार होगा। होगी।

(vii)

नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लगू रेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण नियम नियम, पेशन नियम तथा आधरण नियम आदि के उपबन्ध रखिदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लगू नहीं होगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक ढीग न्वीम के साथ-साथ ₹०५००००००/₹०००००५०० भी लगू नहीं होना।

16. अरक्षण

सेवा में शिक्षित, हिमायल प्रदेश सरकार द्वारा भेग्य-रामय पर अनुशृंगित जाहियों/ अनुशृंगित जनजातियों/ अन्य विजडे लोगों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए रेवा में अप्रयुक्त की बायत जारी किए गए आदेशों के अध्याधीन होगी।

17. विशारीय परीक्षा

लगू नहीं।

18. शिखिल करने की शरिता

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना अद्यतन्त्र या समीचीन है, दूष वह करणों को लिखेते हैं अभिलिखित करते और हिमायल प्रदेश लोक सेवा आधारण के प्रसारण से, आदेश द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत उपबन्ध (उपबन्धी) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रयोग या उपर (उपरी) की शर्त, शिखिल कर सकेगी।



लिखित परीक्षा		85 अंक
1.	(लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अव्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे।)	
2.	आवश्यक का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है :-	15 अंक
i)	नहीं कीर प्रोन्टि निधमों में विहेत न्यूनतम रीक्षिक अहता हेतु यांत्रिका (अधिसारान्)	2.5 अंक
	(रीक्षिक अहत में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुण की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित रीक्षिक अहता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं जो उसे 1.25 अंक ($50 \times 0.025 = 1.25$) अनुज्ञात किए जाएंगे।)	
ii)	वथार्सिति, अधिसूचित विचलन की वा पंचायत से साम्बन्धित।	01 अंक
iii)	भूमिहान कुटुम्ब/एक फेकेटर से उन भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजसव प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	01 अंक
iv)	इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदरय सरकारी/ अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	01 अंक
v)	40 प्रतिशत विकृति/विशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	01 अंक
vi)	एन०एस०एस० (कम से कम एक वर्ष)/एन०सी०सी० में 01 अंक प्रमाण—उत्तर धारक/भारत स्कॉल और गाइड/राष्ट्रीय स्तर वरी खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	
vii)	सरकार हारा समय—समय पर वथाविडित ₹ 40,000/- रो कम (समस्त स्तरों से) वार्षिक आय वाला शी०भी०एल० कुटुम्ब।	02 अंक
viii)	गिरवा/तलाकहुदा/अक्षिचन/एकल माहेला।	01 अंक
ix)	इकलौती पुत्री/अनाथ	01 अंक
x)	किसी भान्यता प्राप्त विश्वाद्यालय/ संस्था से अवैदित पद से सम्बन्धित कम से कम छठ मास की अवधि का प्रशिक्षण।	01 अंक
xi)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुयाय (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05 अंक।)	2.5 अंक

१
२

फार्म सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालन, हिमाचल प्रदेश के नायम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रकल्प।

यह करार भी/अधिकारी

उच्च/पुश्ती भी

निवासी

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें

इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है) और डिमार्थल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, मत्स्यपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के गाध्यग से आए तारीख

को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को हांग दिया है और प्रथम पक्षकार ने फार्म सहायक के रूप में संविदा के आधार पर नियमालिखित नियमधन और शासी पर सेवा करने के लिए सहमति दी है—

1. यह कि प्रथम पक्षकार फार्म सहायक के साथ में..... तो प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार वी सेवा में रहेगा। यह शिनिविंट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों हांग करार पाया गया है कि एधन पक्षकार ची द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा अंतिमी कार्य विभार अर्थात्..... दिन को स्वयंसेव ही पर्याप्ति (सामाज) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा;

परन्तु संविदा अवधि में वर्ष/नुवव आवार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए रम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति वी सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल उसकी संविदा गवाहत/विस्तारित को जापनी।

2. प्रथम पक्षकार जी संवेदागत रकम ₹ 7810/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतमा अस्थूली आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आवारण टीक नहीं रखा जाता है तो नियुक्ति पर्यवर्तित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सारा वी सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पीछे दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सदेला को दो जोड़ित घड़ों तक एक सौ पैसी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा रक्खा। संवेदा पर नियुक्त नडिला कर्मदारी पूरी रोका के दौरान नभैपात हो

जाने सहित गम्भीर कराने की दशा में प्राधिकृत सरकारी विकास अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंटालीस दिन से अनधिक प्रशूति अवकाश (जीवित बब्बों की संख्या का विधार किए जिन) के लिए भी हकदार ठोगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिरूपें और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होना/होनी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिद्धाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपमुक्त आवस्मिक अवकाश, विकिरण आवश्यक और विशेष अवकाश एक कलैंप्डर यर्ज तक संवित किया जा सकेगा और आगामी कलैंप्डर यर्ज के लिए जारीनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुगोदन के दिन कर्तव्य (स्थूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावरण (रामायन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहाँ पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियन्त्रितरण के मानले में विचार करते समय ऐसी अवधि उपर्योग नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावजूद समय पर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए साइदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रबलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए दीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक रथान पर तीन यर्ज का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के अधार पर उहाँ कहीं प्रशासनिक अधारों पर अपेक्षित हो स्थानान्तरण के लिए पात्र ठोगा।
7. अन्यान्य अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीडूट चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। गठिला अभ्यर्थीयों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय से नर्मवती भटिला ब्रस्ट छोने तक अरक्षायी दौर पर अनुपमुक्त बनी रहेगी। ऐसी भटिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अपेक्षारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सामन्थ में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी नदधारी को पद के बेटनमान के न्यूगतन पर लाए दें, याज्ञा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होनी।

९. सविदा पर निमुक्त व्यवित (अधिकारी) को सामूहिक शीमा रक्षण के राथ-साथ ई०पी०एफ०/जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साथ-साथ प्रथम प्रधकार ए द्वितीय प्रधकार ने साक्षियों ली उपस्थिति में इसमें रव्वप्रथम उल्लिखित हारीब को अपने-अपने उत्ताप्त जर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति स

1.

[नाम व पूरा पता]

2.

[नाम व पूरा पता]

[प्रथम प्रधकार के हस्ताक्षर]

1.

[नाम व पूरा पता]

2.

[नाम व पूरा पता]

[द्वितीय प्रधकार के हस्ताक्षर]